न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या–१२२/2010–2011

मुकदम बिहारीलाल बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0,

मौजा महुअन

एकल आदेश

प्रार्थी मुकदम बिहारी लाल शिक्षा समिति ग्राम महुअन द्वारा सचिव नरेन्द्र सिंह पुत्र सोरनसिंह निवासी महुअन तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक–9.2.2010 में अंकित किया गया है कि वह मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–403 खसरा संख्या–363मि. रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये व खाता संख्या 396 खसरा संख्या 364 रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक–22.6.2011 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–403 खसरा संख्या–363मि. रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये व खाता संख्या 396 खसरा संख्या 364 रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये के मुकदम बिहारी लाल शिक्षा समिति ग्राम महुअन द्वारा सचिव नरेन्द्र सिंह पुत्र सोरनसिंह निवासी महुअन तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि के प्रयोग में नहीं आ रही है। खसरा संख्या 362 व 364 में एन0एस0–2 के चौडीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा 0.256 है. है। आवास विकास परिषद व विकास प्राधिकरण एवं अन्य किसी सरकारी संस्थान द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल श्री रमेश यादव का सशपथ बयान दर्ज किया गया। लेखपाल ने अपने सशपथ बयान दिनांक–28.7.2011 में कहा है कि मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–403 खसरा संख्या 363मि. रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये व खाता संख्या 396 खसरा संख्या 364 रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये के मुकदम बिहारी लाल शिक्षा समिति ग्राम महुअन द्वारा सचिव नरेन्द्र सिंह पुत्र सोरनसिंह निवासी महुअन तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रस्तावित भूमि कृषि, बागवानी मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कृषि के कार्य में नहीं आ रही हैं। खसरा संख्या 362 व 364 में एन0एस0–2 के चौडीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा 0.256 हे. है। आवास विकास परिषद व विकास प्राधिकरण एवं अन्य किसी सरकारी संस्थान द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। चकबन्दी आकर– पत्र 41 व 45 दाखिल किये गये हैं। प्रस्तावित भूमि को आबादी घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

क्षेत्रीय लेखपाल के सशपथ बयान दिनांक–28.7.2011 व तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक– 22.6.2011 के आधार पर मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–403 खसरा संख्या–363मि. रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये व खाता संख्या 396 खसरा संख्या 364 रकवा 0.948है. भूराजस्व 18.00 रुपये को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत खसरा संख्या 363 व 364 में एन.एच.–2 के चौडीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा 0.235 को छोडते हुए शैक्षिक प्रयोग हेतु इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्त नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

27/08/11

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक–

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

27/08/11

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि

दिनांक–

05/8/11

Secretary

Mukdam Biharilal Shiksha Samiti